# न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **162/23 (वाद)**

**GCMS No. : 2023/470**

1. हीरा पिता नान जी जाति डांगी, उम्र 85 वर्ष, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. चेना पिता नान जी जाति डांगी, उम्र 80 वर्ष, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

**बनाम्**

1. केसुलाल पिता डालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. मांगीलाल पिता डालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. शांता पुत्री डालु जी पत्नी मोहनजी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)
4. हरकूबाई पत्नी डालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. खरता पिता भीमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. भंवरलाल पिता उदा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. टमूबाई पुत्री उदा जी पत्नी धुला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. कमला पुत्री माणीबाई जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. रूपलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
10. चुन्नीलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
11. मोवनी पुत्री गोर्धन जी पत्नी वाला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नउवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
12. सुखा पुत्री गोर्धन जी पत्नी मोहन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
13. लेहरीबाई पत्नी गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
14. पटवारी, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

15. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

**उपस्थित–1.** श्री सुरेश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता वादीगण।

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

## निर्णय

**दिनांक : 25.03.2025**

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा मांगथला, पटवार हल्का मांगथला, तहसील घासा, उदयपुर खाता संख्या 20 पर दर्ज आराजी नम्बर 391 रकबा 0.4452 हैक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 से 4 प्रत्येक के नाम 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 के नाम 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6, 7 प्रत्येक के नाम 1/6 हिस्सा एवं खातेदार माणीबाई पुत्री उदा के नाम 1/6 हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से अंकित मात्र है। खातेदार माणीबाई पुत्री उदा की मृत्यु हो चुकी हैं जिसकी वारिस प्रतिवादी संख्या 8 हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 391 (जिसके पुराने नम्बर 203 थे) एवं अन्य आराजीयात मय चाह का हिस्सा पूर्व में खातेदार उदा, भीमा पिता ऊंकार गौत चौपड़ा डांगी के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में थे जिससे खातेदार उदा एवं भीमा ने कर्जा चुकाने हेतु रूपयों की जरूरत होने पर अपने खाते दर्ज वाद वर्णित आराजी नम्बर 391 सहित आराजीयात में निहित अपने कुलिया हक हिस्सा मय चाह के हिस्से को अपने तमाम हक हकूको एवं अधिकार सहित दिनांक 07–07–1970 को 2,500/– दो हजार पांच सौ रूपये में हम वादीगण एवं हमारे भाई गोर्धन पिता नानजी को बराबर–बराबर हक हिस्सेनुसार विक्रय कर दी और विक्रेतागण उदा व भीमा ने कुलिया विक्रय प्रतिफल राशि हमसे प्राप्त करते हुए दिनांक 07–07–1970 हम क्रेतागण के पक्ष में विक्रय पत्र लिखवा कर दिनांक 10–07–1970 को उप पंजीयक कार्यालय मावली में विक्रय पत्र का पंजीयन करा दिया और विक्रीत कृषि भूमि का कब्जा हम क्रेतागण को सुपुर्द कर दिया। तब से इस जमीन पर हम क्रेतागण हीरा, चेना अपने हक हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं आज भी हम अपनी खरीदसुदा हिस्से की कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज होकर निरन्तर लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करते आ रहे है और हमारे हिस्से कब्जे की भूमि को काश्त योग्य बनाने में भी हमने व हमारे परिजनों ने अब तक लाखों रूपयों का खर्चा किया है और परिवार सहित कड़ी मेहनत कर इस कृषि भूमि को विकसित कर आवादान की है तथा आज भी हम वादीगण अपने हिस्से की क्रयसुदा कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 8 या अन्य किसी व्यक्ति का कोई हक व हिस्सा नही है। विक्रेता भीमा व उदा की मृत्यु हो चुकी है। भीमा के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 5 हैं। उदा के वारिस प्रतिवादी संख्या 6 से 8 हैं। हमारे भाई गोर्धन की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 9 से 13 तक हैं।

2. यह कि हम वादीगण आज भी उदा व भीमा डांगी से क्रय किये गये हक हिस्से पर परिवारजन सहित निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और उदा व भीमा डांगी द्वारा उक्त उनके हिस्से कब्जे की जमीन हमें बेच देने के बाद से यहां उनका या उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का कोई हक अधिकार नही रहा हैं तथा हम वादीगण ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिए क्रय की गई विक्रय पत्र में वर्णितानुसार हक व हिस्सेनुसार कृषि भूमियों को विक्रेता खातेदार के बजाय हमारे नाम पर रद्दोबदल किये जाने हेतु तत्समय पटवारी को भी विक्रय पत्र उपलब्ध कराया गया जिस पर पटवारी द्वारा हमें आश्वास्त किया कि वो विक्रय पत्र में वर्णितानुसार क्रय की गई भूमियों को हमारे नाम पर खाते में दर्ज कर देगें और हम वादीगण ने भी ग्रामीण परिवेश के रहने वाले होकर भोले भाले लोग होने की वजह से पटवारीजी की बात पर भरोसा लिया। लेकिन दिनांक 01–10–2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 मौके पर आये और हम वादीगण को धमकी देकर गये कि ये जमीन हमारे नाम पर है और तुम इस जमीन से अपना कब्जा हटाकर जमीन खाली कर देना वरना हम इस जमीन से तुम्हे बेदखल कर देगें और कुलिया जमीन खुर्द बुर्द कर देगें। इसके बाद हमने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में वर्णितानुसार कृषि भूमियों की जमाबन्दीयां की प्रति निकलवाई तो वाद वर्णित कृषि भूमि में विक्रेतागण उदा व भीमा डांगी से हमारे द्वारा क्रय किया हिस्सा हमारे नाम पर खातेदारी में दर्ज नही होने की जानकारी हुई जिससे हमें यह ज्ञात हुआ कि पटवारीजी ने बिना किसी अधिकार [illegible]ने ढंग से विक्रय पत्र में अंकित वाद वर्णित आराजी को [illegible] के नामा[illegible]करण में दर्ज न कर नामान्तरकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pilodia
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

स्वीकृत करा दिया जिससे ये आराजी हमारे नाम पर खाते में दर्ज नही हो सकी जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था।

3. यह कि इस प्रकार पटवारीजी द्वारा अकारण ही विक्रय पत्र में वर्णितानुसार वाद वर्णित आराजी को बेचान के नामान्तरकरण में दर्ज नही किये जाने से हमारी क्रयसुदा उक्त आराजी हमारे नाम पर दर्ज होने से रह गई और हमारी क्रयसुदा यह आराजी विक्रेतागण उदा व भीमा डांगी के नाम पर ही दर्ज रह गई और विक्रेतागण उदा व भीमा डांगी के मरने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने जानबुझकर यह जानते हुए कि उक्त कृषि भूमि में उनका या उनके मौरूस उदा व भीमा का कोई हक हिस्सा नही हैं क्योंकि उदा व भीमा डांगी ने यह जमीन हमें बेचकर काबिज करा रखा है फिर भी भीमा के मरने के बाद विरासत के नामान्तरकरण के जरिए भीमा के नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने एवं उदा के नाम दर्ज भूमि को प्रतिवादी संख्या 6, 7 व माणबाई ने अपने नाम पर रद्दोबदल करवा दी। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही था। उपरोक्त परिवर्तन से हमारी क्रयसुदा हिस्सा कृषि भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकर्ड प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व प्रतिवादी संख्या 8 की माता माणीबाई के नाम पर दर्ज चली आ रही है जबकि उदा व भीमा डांगी द्वारा उक्त जमीन बेचने के बाद उदा व भीमा डांगी या इनके वारिस प्रतिवादी संख्या 1 से 8 कभी कोई हक अधिकार कब्जा नही रहा है और न ही वर्तमान में है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा हमारी क्रयसुदा कृषि भूमि बाबत् जो भी परिवर्तन करवाया गया है वह सभी हमारे मुकाबले शुन्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त आराजीयात विक्रेता उदा व भीमा डांगी से क्रय की गई हिस्सा भूमि वर्तमान में हमारे नाम पर अंकन नही होने से हम को भारी असुविधा एवं कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 उक्त गलत अंकन की आड़ लेकर हमारी जमीन को नाजायज तरीके से हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने पर उतारू हो रहे है और माणीबाई के फौत होने से उसके हिस्से को प्रतिवादी संख्या 8 अपने नाम कराने पर उतारू हो रही हैं। जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। इसलिये हम वादीगण वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में हम वादीगण द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये उदा व भीमा डांगी से क्रय की गई कृषि भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 व माणीबाई के नाम दर्ज है, को हमारे हिस्सेनुसार हम वादीगण के नाम खातेदारी हक की घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

करा राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं जिसके लिये यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा हैं।

4. यह कि हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला हैं। क्योंकि हम वादीगण ने उदा व भीमा डांगी से उनके हक हिस्से की भूमि को पूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की और मौके पर कब्जा प्राप्त किया है और जमीन खरीदने के बाद से ही हम क्रेतागण अपनी क्रयसुदा जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये और आज भी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे है और काफी खर्चा कर एवं मेहनत मजदूरी कर अपनी जमीन को विकसित कर आवादान किया है। किन्तु विक्रय पत्र के आधार पर उक्त विक्रीत कृषि भूमि को पटवारी द्वारा मनमाने ढंग से हम क्रेतागण के नाम दर्ज नही किये जाने से हमारे नाम नही हो सकी और विक्रेता उदा व भीमा डांगी के नाम दर्ज रह गई और विक्रेता उदा व भीमा डांगी के फौत होने पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 7, माणीबाई ने हमारी क्रयसुदा जमीन को अपने नाम पर विरासत से रद्दोबदल करवा ली और माणीबाई के फौत होने से माणीबाई की जमीन को प्रतिवादी संख्या 8 अपने नाम पर रद्दोबदल कराने के भरसक प्रयास कर रही हैं। जबकि इन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। वर्तमान में जमीनों की कीमतों में काफी वृद्धि होने से प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी हैं और ये इनके मौरूस द्वारा हमें बेची हुई जमीन अपने नाम पर अंकन होने का नाजायज फायदा उठाकर पुनः दूसरे लोगों को हस्तान्तरित कर खुर्द बुर्द करने एवं हमें बेदखल करने की धमकीयां दे रहे हैं। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का हमारी खरीदसुदा हिस्सा कृषि भूमि में कोई हक व अधिकार नहीं हैं। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाकर पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि हम वादीगण की क्रयसुदा वाद वर्णित कृषि भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं मृतक माणीबाई के नाम दर्ज है, उसे प्रतिवादी संख्या 1 से 8 अन्य किसी को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, हम वादीगण को हमारे द्वारा खरीदी गई कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, बेदखल नही करे, कब्जा नही करे, नुकसान नही पहुँचावें, किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, मौके व

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Thanadia
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 14, 15 16 को भी पाबन्द किया जावें कि वे ताफैसला मूल वाद प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा उक्त भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी दस्तावेज का पंजीयन नहीं करे, न नामान्तरकरण खोले, न स्वीकृत करें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा होने वाली नही है बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से हम वादीगण को अशोधनीय क्षति एवं हानि होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में आंका जाना असंभव होगा।

5. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 01–10–2023 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने मौके पर आकर हम वादीगण को हमारी खरीदसुदा कृषि भूमि उनके नाम पर अंकन होने की बात कहते हुए इसे अन्य को बेचने एवं हम वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा करने की धमकी दी, तब से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

6. अंत में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि उक्त वर्णित आराजीयात मे प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं मृतक खातेदार माणीबाई के नाम अंकित हक हिस्से का हम वादीगण को पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर (विक्रय पत्र में वर्णित हिस्से में बराबर–बराबर हिस्सेनुसार) खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें और इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं मृतक खातेदार माणीबाई के नाम हटाये जाने की डिक्री प्रदान कराई जावें। हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में प्रतिवादी संख्या 1 से 8 वाद वर्णित कृषि भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, वादीगण द्वारा खरीदी गई भूमि का वादीगण को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे, कब्जा नही, प्रवेश नही करे, वादीगण को बेदखल नही करे, नुकसान नहीं पहुंचावे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी संख्या 14 से 16 को पाबन्द किया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 वाद वर्णित भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज नामान्तरकरण खोलने/पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करें तो उसका

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadin
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

पंजीयन नही करे, नामान्तरकरण नही खोले, न स्वीकृत करे एवं राजस्व रेकर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे, रेकर्ड में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे, न करावें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 9 से 13 के विरूद्व वादीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से इनके विरूद्व कार्यवाही को ड्रोप किया जा चुका हैं।

8. प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ की गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य वादी शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 श्री चेना पिता नान जी डांगी का पेश कर दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी द्वारा दस्तावेज मौजा मांगथला की जमाबन्दी नकल सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 20 प्रदर्श 1, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.07.1970 असल प्रदर्श 2 जिसकी छाया प्रति प्रदर्श 2ए, मौजा मांगथला का भू–प्रबंध विभाग सेटलमेन्ट का मिलान पत्रक संवत 2022 प्रदर्श 3 करवाये गये।

9. अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

10. हमने अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि प्रदर्श 3 मौजा मांगथला तहसील मावली का भू–प्रबंध विभाग (सेटलमेंट) का मिलान प्रत्रक सम्वत 2022 के अनुसार साबिक आराजी नम्बर 203 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि के हाल आराजी नम्बर 391 रकबा 2 बीघा 15 बिस्वा भूमि बनाए गए है जो उदा, भीमा पिता उंकार डांगी के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। प्रदर्श 2 ए रजिस्टर्ड विक्रय अनुसार खातेदार उदा, भीमा पिता उंकार डांगी द्वारा उक्त भूमि वादीगण एवं उनके भाई प्रतिवादी संख्या 9 से 13 के मौरूस गोर्धन को विक्रय कर दी गई। परन्तु प्रदर्श 1 ग्राम मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 20 पर दर्ज आराजी नम्बर [illegible]बा 0.4452 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं प्रति[illegible] संख्या 8 [illegible] मौरूस माणीबाई पुत्री उदा के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Puradia
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज रिकॉर्ड है। इससे स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के अनुसार राजस्व कर्मचारियों द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही किया गया। उदा, भीमा पिता उंकार डांगी का निधन हो गया। इनके निधन के पश्चात राजस्व कर्मचारियो द्वारा उदा, भीमा पिता उंकार के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 के मौरूस माणीबाई पुत्री उदा के नाम दर्ज कर दिया गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 13 के मौरूस वादग्रस्त भूमि का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के निष्पादन से ही खातेदार हो चुके थे। केवल मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नही किया है। राजस्व कर्मचारियों को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नाम दर्ज करना चाहिए था। प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का नाम सेहवन से अंकित हुआ है। ऐसे में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 13 को खातेदार घोषित किया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य पाया जाता है।

## —: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 20 पर दर्ज आराजी नम्बर 391 रकबा 0.4452 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 के मौरूस माणीबाई पुत्री उदा के नाम खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 13 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

पर्चा डिक्री पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

# डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली**

**बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.**

उनवान्

1. हीरा पिता नान जी जाति डांगी, उम्र 85 वर्ष, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. चेना पिता नान जी जाति डांगी, उम्र 80 वर्ष, निवासी मांगथला (रतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

**बनाम्**

1. केसुलाल पिता डालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. मांगीलाल पिता डालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. शांता पुत्री डालु जी पत्नी मोहनजी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी आसना, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज0)
4. हरकूबाई पत्नी डालु जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. खरता पिता भीमा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. भंवरलाल पिता उदा जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (वरतलाई), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. टमूबाई पुत्री उदा जी पत्नी धुला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. कमला पुत्री माणीबाई जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी सालेराकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. रूपलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
10. चुन्नीलाल पिता गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी गांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
11. मोवनी पुत्री गोर्धन जी पत्नी वाला जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी नउवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
12. सुखा पुत्री गोर्धन जी पत्नी मोहन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (ढाणा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
13. लेहरीबाई पत्नी गोर्धन जी जाति डांगी, उम्र वयस्क, निवासी मांगथला (रेतड़ा), तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ड्रोप
14. पटवारी, पटवार हल्का मांगथला, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
15. उप पंजीयक अधिकारी, मावली, जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadiya
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested

16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

## वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
## मुकदमा न0 : 162/23 (वाद) GCMS No. – 2023/470

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि ग्राम मांगथला पटवार हल्का मांगथला तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 20 पर दर्ज आराजी नम्बर 391 रकबा 0.4452 हैक्टर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 7 एवं प्रतिवादी संख्या 8 के मौरूस माणीबाई पुत्री उदा के नाम खातेदारी हक से दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/3 हिस्से का एवं प्रतिवादी संख्या 9 से 13 को संयुक्त रूप से 1/3 हिस्से को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 25.03.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.04.22 17:43:21 IST
Reason: SelfAttested